राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 469/2016/भीलवाड़ा

मैसर्स लडडुराम बाबूलाल,
22 एमटीएम, आर.के. कॉलोनी,
भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,
भीलवाड़ा । .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.08.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) , वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 105/वैट/2014–15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें आरोपित राशि रूपये 2,60,833/– को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसाई के विद्वान अभिभाष्क ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.06.2015 को पारित करने में तथ्यात्मक भूल की है। उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कायम मांग को यथावत रखने का निवेदन किया।

अपीलार्थी द्वारा इस अपील में विवादित बिन्दुओं का क्रमवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. वैट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि(लाभांश एवं खर्चे):– यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बतायी गयी आउट पुट राशि को बिना किसी प्रकार की सुनवायी का नोटिस दिये ही मन मर्जी से बढ़ा दिया जो वैट एक्ट नियमों एवं धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है अपीलार्थी द्वारा जो भी माल क्रय किया जाता है वह भिन्न दर से वैट चुकाया जाता है। वैट चुके हुए माल पर अपीलार्थी को किसी प्रकार का प्रोफिट या खर्चा नहीं लगता है क्योंकि जो माल उपयोग में लिया जाता है उसकी अवार्डर द्वारा निश्चित सरकारी बी एस आर होती है उसके अनुसार ही अपीलार्थी को भुगतान मिलता है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार की सुनवायी के वैट एक्ट को ताक में रखकर भिन्न–भिन्न कर दर से खरीद माल पर लाभांश व खर्चा जोड़कर बढ़ायी गई राशि रूपये क्रमशः 12.5 प्रतिशत + 14 प्रतिशत (77090) + 4 प्रतिशत + 5 प्रतिशत (60460) का कुल योग रूपये 1,37,550/– निरस्त फरमावे। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के निर्णय में व्यवसाई की घोषित एवं खरीद में जो लाभांश जोड़ा गया है उसे उचित ठहराया गया है अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

लगातार.....2

2. ई.सी. फीस का कार्य पर मजदूरी राशि की कमी के सन्दर्भ में:— माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134** में व्यवस्था दी गयी है कि प्रश्मन का विकल्प लिये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारी प्रश्मन से भिन्न करारोपण के तरीके से करारोपण की मांग करते हुए लेबर राशि को घटाने की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रश्मन राशि सम्पूर्ण प्राप्तियों Total Receipts/Total Turnover पर विहित मुक्ति शुल्क की दर से ही मुक्ति शुल्क राशि देय होगी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है।

3. आई.टी.सी. को मूल बिल के आधार पर स्वीकारः— यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना आई.टी.सी. रूपये 17,071/— को अस्वीकृत कर दिया जो स्वीकार किया जावे ऐसे कर बोर्ड को निर्णय हो चुका है। (2010) 27 टीयूडी 109 (आरटीबी) अपीलार्थी व्यवहारीगण इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं हैं। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी आगत कर का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

4. लेट फीस :— यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रिटर्न लेट पेश करने में यदि ठेकेदारी के लिए कोई कानून में परिवर्तन किया तो हमें सूचना देनी चाहिए थी कि रिटर्न पेश नहीं हुआ है प्रार्थी का कर समय पर जमा है यदि रिटर्न लेट है इतनी बड़ी राशि रूपये 11,000/— निरस्त योग्य है। इस बिन्दु पर यह निर्णित किया जाता है कि नियम 19A के तहत रिटर्न लेट होने पर शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. राज्य के बाहर की खरीद पर आरोपित अपास्त संदर्भ में :— ठेका कार्य में राज्य के बाहर से क्रय वस्तु जो ठेका कार्य में उपयोग ली गयी है उस राशि पर वैट आरोपित रूपये 43,980/— कर दिया जो निरस्त योग्य है। हाईकोर्ट निर्णय मैसर्स यूनिक प्रिक्योर्ड रिटेडर्स, भीलवाड़ा। व्यवसाई ने जो न्यायिक निर्णय का उदाहरण दिया है उसके तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। इसलिये राज्य के बाहर से अन्तर्राज्यीय खरीद पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को यथावत रखा जाता है।

3. अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

23/9/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य